

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्र. २७०९ / एफ—२—०७ / ३१ / एस—२ / २०२४,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ३० / ०७ / २०२४

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रायपुर जिले के विकासखंड—अभनपुर की महानदी मुख्य नहर के आर.डी. ५१.६० कि. मी. से डी.ओ. से ७०० मी. नहर लाईनिंग सहित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.—३८ / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / २०२४ / ३१५५, दिनांक १९.०४.२०२४.

—००—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक—३६७ / सी—२८२६९ / ११ / वित्त / नियम / चार, रायपुर दिनांक ११.११.२०११ द्वारा जारी वित्त निर्देश ५० / २०११ में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—२ के अनुक्रमांक—८८ में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड—अभनपुर की महानदी मुख्य नहर के आर.डी. ५१.६० कि. मी. से डी.ओ. से ७०० मी. नहर लाईनिंग सहित कार्य हेतु लागत राशि रु. ५३.१६ लाख (रूपये तिरपन लाख सोलह हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. रिमाइडलिंग एवं लाईनिंग उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (६० हेक्टेर) में १२ हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से १० है। अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल ७० है। में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कांडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—२३ जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष—४७०० वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [०२]—महानदी परियोजना समूह, {८००}—अन्य व्यय, ०१०—राज्य आयोजना (सामान्य), (२८९८)—बांध तथा संलग्न कार्य, #२६—वृहद निर्माण कार्य, ००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
7. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( प्रेमसिंह घरेन्न )

अवर सचिव

१८<sup>व</sup> छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृष्ठ २७५० / एफ-२-०७/३१ / एस-२/२०२४,,

अटल नगर, दिनांक ३०/०७/२०२४

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम ४-२२ अटल नगर।
12. ✓ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, महानदी मण्डल रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.—१ रायपुर, जिला—रायपुर।
15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग  
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

02 AUG 2024

कक्ष

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

SE (m/s)

राम